न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1670–दो/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25–8–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 160/2001–02 अपील

राकेश सिंह पुत्र विहारी सिंह किरार
ग्राम चैना तहसील जौरा जिला मुरैना। ---आवेदक

विरूद्ध

द्वारिका प्रसाद पुत्र माधव लाल अग्रवाल
निवासी ग्राम बागचीनी तहसील जौरा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)
(आवेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित– एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 15 –12–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 160/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–8–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सॉक्षेपिक विवरण ऐसा है कि अनावेदक ने आवेदक से ग्राम चैना स्थित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 3565 दिनांक 23-72-2000 से क्रय की। केता अनावेदक ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण चाहा, जिस पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 24 पर आदेश दिनांक 17-9-2000 से नामान्तरण हुआ। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष अपील क्रमांक 9/2001-02 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी जौरा ने आदेश दिनांक 28-5-2002 से अपील अवधि-वाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 160/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 25 अगस्त 2005 से अपील निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी हुई है।

3/ निगरानी मेमो के तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक को सुना गया तथा प्रकरण में आये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना के बाबजूद अनुपस्थित होने से एकपक्षीय किया गया है।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क यह है कि विक्रय पत्र धोखा देकर कराया गया है एंव विक्रेता को व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई तथा विक्रय पत्र पर से चुपचाप नामान्तरण कर दिया गया जिसके कारण आवेदक को नामान्तरण का पता नहीं चला और जब पता चला तो नामान्तरण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने में लगे समय को मुजरा करने पर अपील एस0डी0ओ0 के समक्ष समयावधि में की गई थी किन्तु उन्होंने अपील अवधि वाह्य प्रस्तुत होना गलत आधारों पर मानकर निरस्त कर दी है और जब अपर आयुक्त, चम्बल संभाग को वास्तविक स्थिति बताई तो

उन्होंने वाव्तविकता की ओर ध्यान न देते हुये सरसरी तौर पर अपील निरस्त करने में गलती की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त एंव एस0डी0ओ0 के आदेश निरस्त किये जॉय।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर से प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक यह स्वयं् बता रहे है कि विक्रयपत्र संपादित हुआ है भले ही विक्रय पत्र किसी प्रकार से हुआ है विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसे शून्य घोषित करने की शक्तियां राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः विक्रय पत्र से क्रेता अनावेदक का किया गया नामान्तरण उचित है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील समयवाह्य प्रस्तुत होना मानकर निरस्त की है । इस क्रम में अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 25-8-2005 में की गई विवेचना से पाता हूॅ कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष अपील मेमो में अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में विवरण दिया है कि ग्राम पंचायत व्दारा प्रमाणित किये गये नामान्तरण की जानकारी उसे पटवारी से दिनांक 22-5-2001 को मिल चुकी थी एंव अपील मेमो के तथ्यों अनुसार ऐसा कौनसा कारण बना की आवेदक को दिनांक 21-9-2001 को फिर से पटवारी के पास जानकारी लेने जाना पड़ा, जब आवेदक को 22-5-01 को भूमि पर क्रेता का नाम चढ़ जाने की बात पता चल चुकी, तब 21-9-2001 को दूसरे के नाम हो चुकी भूमि की लगान जमा करने अथवा लगान की पूछताछ करने जाने का तथ्य अविश्सनीय हो जाता है । आवेदक को नामान्तरण आदेश की जानकारी 22-5-2001 को हो चुकी थी एंव उसने जानकारी होने पर समय रहते अपील नहीं की एंव जब अपील प्रस्तुत की, तब भी उसके व्दारा स्वच्छ मन से

विलम्ब का विवरण नहीं दिया, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत होना मानकर आदेश दिनांक 28-5-2202 से निरस्त की है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैनाद्वारा प्रकरण कमांक 160/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-8-2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर